

>

Title: Presentation of 17th, 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd Reports of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants.

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

- (1) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' विषय के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन।
- (2) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' विषय के बारे में सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन।
- (3) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की

मांगें (मांग सं. 18 और 21)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन।

- (4) 'थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाओं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 19 और 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन।
- (5) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन।
- (6) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 19 और 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन।